प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 25.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 10,000 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 10,000 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री श्याम मुरारी लाल श्रीवास्तव निवासी उतरौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने दिनाँक 09.06.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के बैक खाते से फ्राड बैंक खाते में धनराशी स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद मे शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, प्रभारी साइबर सेल श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, का0 अनुज शुक्ला,का0 ऋतिक वर्मा।

जनता से अपील

01. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
02. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
03. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
04. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता भीमा पुत्र हकीकुल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। ***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 सूरज रावत।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8291 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 बालिका को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 8291 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत हमसफर मैरिज हाल मेंहदावल से कालर द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा बालिका को ठोकर लगने के से घायल 01 बालिका (1.परी पुत्री रामदास ग्राम पटना खास थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया ,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल बालिका को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल बालिका को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 रोहित पाण्डेय, हो0गा0चा0 विनय पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 171 वाहनों से 1,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 171 वाहनों से 1,77,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।